भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2880

(दिनांक 15.12.2021 को उत्तर के लिए)

अनुसूचित जाति के उम्मीदवार

2880. श्री भोलानाथ बी. पी. सरोज:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और ब्यौरा क्या है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका;

(ख) उन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर सरकार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चयन करती है;

(ग) क्या इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जाति का कोटा नहीं भरा जा रहा है और उनके स्थान पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से वार्षिक आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) में भर्ती की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, अनुसूचित जाति के उन उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे परंतु जिन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका :-

2018 बैच: शून्य।

2019 बैच: शून्य।

2020 बैच: एक उम्मीदवार सेवा में शामिल नहीं हुआ।

(ख) : सरकार की नीति के अनुसार, सीएसई के माध्यम से भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों हेतु प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत 15% है।

(ग) से (घ) : जी, नहीं। अनुसूचित जाति की रिक्तियों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार भरा जा रहा है।

*****